

सं० - प / 369 / विविध/01/2021

स्टेधी / पटेरही, खैरा, छपरा कचहरी, छपरा ग्रामीण
यातायात निरीक्षक / छपरा, लोको निरीक्षक / छपरा,
एस० एस० ई० / रेल पथ / छपरा कचहरी तथा एस० एस० ई० / सिगनल / छपरा कचहरी
मुख्य नियंत्रक, पावर कंट्रोल, इंजी० कंट्रोल, सिग० कंट्रोल, सुरक्षा कंट्रोल / वाराणसी
सभी शाखा अधिकारी, वाराणसी
मरेप्र / अमरेप्र(Infra) / अमरेप्र(Operation) / वाराणसी - सादर सूचनाथ

अस्थाई कार्य अनुदेश

विषय:- खैरा स्टेशन को कोविड-19 के कारण अस्थाई रूप से बन्द किये जाने के कारण गाडी संचालन हेतु अस्थाई कार्य अनुदेश।

कोविड-19 के वर्तमान प्रसार को देखते हुए स्टेशन कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण खैरा स्टेशन को अस्थाई रूप से बन्द किया जाता है, इस स्थिति में खैरा स्टेशन नान क्रॉसिंग के रूप में कार्य करेगा इस दौरान गाडियों का संचालन निम्न प्रकार होगा।

1. खैरा स्टेशन के नान क्रॉसिंग होने के कारण पटेरही-छपरा कचहरी को एक ब्लाक सेक्शन माना जायेगा एवं छपरा ग्रामीण-खैरा के मध्य इस अवधि के दौरान गाडियों का संचालन नहीं किया जायेगा।
2. चूंकि ब्लाक यंत्र कार्यशील नहीं होगा अतः गाडियों का लाइन क्लियर संचार के अन्य माध्यम यथा कंट्रोल फोन आदि के माध्यम से प्राप्त कर पी.एल.सी. (पेपर लाइन टिकट) के माध्यम से किया जायेगा।
3. पैनल एवं ब्लाक यंत्र सील करने से पूर्व खण्ड यातायात निरीक्षक छपरा, खैरा स्टेशन के लाइन सं०-०१ (लूप लाइन) को सेट कराकर दोनो छोर के प्वाइंट को क्लैम्प एवं पैडलाक कराकर, पैनल एवं ब्लाक यंत्र को लाक कर पैनल तथा ब्लाक यंत्र की चाभी अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करेंगे। लाइन सं०-०१ में आगमन/प्रस्थान हेतु लाक सभी कांटों की देख रेख हेतु एक कांटा वाला स्टेशन मास्टर कार्यलय में उपस्थित रहेगा जो पटेरही/छपरा कचहरी से गाडी की सूचना प्राप्त होने पर कांटों पर लगाये गये क्लैम्प एवं पैडलाक को व्यवहारिक रूप से चेक करेगा, स्टेशन मास्टर पटेरही/छपरा कचहरी इस आशय की सूचना अपने यहाँ गाडी के लाइन क्लियर होने के साथ ही खैरा स्टेशन के सी.यू.जी. नं० पर कार्यरत कांटावाला को देंगे।
4. खैरा स्टेशन के सभी आगमन एवं प्रस्थान सिगनल लाल रंग में प्रकाशित होंगे किन्तु इनका पालन लोको पायलट को नहीं करना होगा, जिसके विषय में स्टेशन मास्टर पटेरही/छपरा कचहरी द्वारा लिखित रूप से प्रत्येक गाडी के लोको पायलट एवं गार्ड को अवगत कराना होगा। इस सम्बन्ध में वमयाई(ओ०एण्ड०एफ०) शेड आर्डर जारी कर लोको पायलट को अवगत करायेगें।
5. खैरा स्टेशन सें सम्बद्ध यातायात समपार 05 'सी' किमी 10/6-7 एवं 07 'सी' किमी 11/9-10 तथा इंजीनियरिंग समपार 03 'सी' किमी 7/6-7, 4 'सी' किमी 9/1-2, 8 'सी' किमी 12/8-9 एवं 09 'सी' किमी 13/7-8 हेतु सतर्कता आदेश स्टेशन मास्टर पटेरही एवं छपरा कचहरी द्वारा जारी करना होगा कि लोको पायलट समपार की बन्द स्थिति को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही समपार को पार करें।
6. पटेरही एवं छपरा कचहरी स्टेशनों पर गाडियों का आगमन प्रापर होम सिगनल पर होगा।
7. खैरा स्टेशन पर पावर ब्लाक नहीं होगा तथा टी.आर.डी. विभाग द्वारा ओ.एच.ई. स्पलाई की मानीटरिंग की जाएगी।
8. इस अस्थाई अनुदेश को पटेरही एवं छपरा कचहरी स्टेशन के प्रभावी SWR के साथ पढ़ा जाये एवं कार्यरत कर्मचारियों को अवगत कराते हुए यानि/छपरा आश्वासन लेना सुनिश्चित करेंगे।
9. यह अस्थाई कार्य अनुदेश नार्मल स्थिति होने पर मुगानि/कोचिंग द्वारा सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुए सामान्य कार्य संचालन प्रारम्भ करने का निर्देश दिये जाने पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

A-U-Laxup
30/04/21
(ए० के० सक्सेना)
वमपारिप्र/सा०/वारा०

A
30/04/21
(ए० के० केशरवानी)
वमयाई (ओ. एण्ड. एफ.)/वारा०

Mishra
30/04/21
(एम. के. सिंह)
वमई/11/वारा०

Pantey
30-4-2021
(पंकज कु० केशरवानी)
वमविई/टी.आर.डी./वारा०

A
30/4/21
(त्र्यम्बक तिवारी)
वमसिदुई/वारा०

कार्यालय
मण्डल रेल प्रबन्धक (परि०)
वाराणसी
दिनांक: 30.04.2021

सं० - प / 369 / विविध/02/2021

स्टेथी / शामकौडिया, मढौरा, पटेरही
यातायात निरीक्षक / छपरा, लोको निरीक्षक / छपरा,
एस० एस० ई० / रेल पथ / छपरा कचहरी, तथा एस० एस० ई० / सिगनल / छपरा कचहरी,
मुख्य नियंत्रक, पावर कंट्रोल, इंजी० कंट्रोल, सिग० कंट्रोल, सुरक्षा कंट्रोल / वाराणसी
सभी शाखा अधिकारी, वाराणसी
मरेप्र / अमरेप्र(Infra) / अमरेप्र(Operation) / वाराणसी - सादर सूचनार्थ

अस्थाई कार्य अनुदेश

विषय:- मढौरा स्टेशन को कोविड-19 के कारण अस्थाई रूप से बन्द किये जाने के कारण गाडी संचालन हेतु अस्थाई कार्य अनुदेश।

कोविड-19 के वर्तमान प्रसार को देखते हुए स्टेशन कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण मढौरा स्टेशन को अस्थाई रूप से बन्द किया जाता है, इस स्थिति में मढौरा स्टेशन नान क्रॉसिंग के रूप में कार्य करेगा इस दौरान गाडियों का संचालन निम्न प्रकार होगा।

1. मढौरा स्टेशन के नान क्रॉसिंग होने के कारण शामकौडिया-पटेरही को एक ब्लाक सेक्शन माना जायेगा।
2. चूकि ब्लाक यंत्र कार्यशील नहीं होगा अतः गाडियों का लाइन क्लीयर संचार के अन्य माध्यम यथा कंट्रोल फोन आदि के माध्यम से प्राप्त कर पी.एल.सी. (पेपर लाइन टिकट) के माध्यम से किया जायेगा।
3. पैनल एवं ब्लाक यंत्र सील करने से पूर्व खण्ड यातायात निरीक्षक छपरा, मढौरा स्टेशन के लाइन सं०-01 (लूप लाइन) को सेट कराकर दोनो छोर के प्वाइंट को क्लैम्प एवं पैडलाक कराकर, पैनल एवं ब्लाक यंत्र को लाक कर पैनल तथा ब्लाक यंत्र की चाभी अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करेंगे। लाइन सं०-01 में आगमन/प्रस्थान हेतु लाक सभी कांटों की देख रेख हेतु एक कांटा वाला स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपस्थित रहेगा जो शामकौडिया/पटेरही से गाडी की सूचना प्राप्त होने पर कांटों पर लगाये गये क्लैम्प एवं पैडलाक को व्यवहारिक रूप से चेक करेगा, स्टेशन मास्टर शामकौडिया/पटेरही इस आशय की सूचना अपने यहाँ गाडी के लाइन क्लीयर होने के साथ ही मढौरा स्टेशन के सी.यू.जी. नं० पर कार्यरत कांटावाला को देंगे।
4. मढौरा स्टेशन के सभी आगमन एवं प्रस्थान सिगनल लाल रंग में प्रकाशित होंगे किन्तु इनका पालन लोको पायलट को नहीं करना होगा, जिसके विषय में स्टेशन मास्टर शामकौडिया/पटेरही द्वारा लिखित रूप से प्रत्येक गाडी के लोको पायलट एवं गार्ड को अवगत कराना होगा। इस सम्बन्ध में वमयाई(ओ०एण्ड एफ०) शेड आर्डर जारी कर लोको पायलट को अवगत करायेगें।
5. मढौरा स्टेशन से सम्बद्ध यातायात समपार 20 'सी' किमी 25/3-4 एवं 21 'सी' किमी 26/6-7 तथा इंजीनियरिंग समपार 18 'सी' किमी 23/5-6, 22 'सी' किमी 27/3-4, 23 'सी' किमी 28/4-5 एवं 24 'सी' किमी 29/5-6 हेतु सतर्कता आदेश स्टेशन मास्टर शामकौडिया एवं पटेरही द्वारा जारी करना होगा कि लोको पायलट समपार की बन्द स्थिति को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही समपार को पार करें।
6. शामकौडिया एवं पटेरही स्टेशनों पर गाडियों का आगमन प्रापर होम सिगनल पर होगा।
7. मढौरा स्टेशन पर पावर ब्लाक नहीं होगा तथा टी.आर.डी. विभाग द्वारा ओ.एच.ई. सप्लाय की मानीटरिंग की जाएगी।
8. इस अस्थाई अनुदेश को शामकौडिया एवं पटेरही स्टेशन के प्रभावी SWR के साथ पढ़ा जाये एवं कार्यरत कर्मचारियों को अवगत कराते हुए यानि/छपरा आशवासन लेना सुनिश्चित करेंगे।
9. यह अस्थाई कार्य अनुदेश नार्मल स्थिति होने पर मुगानि/कोचिंग द्वारा सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुए सामान्य कार्य संचालन प्रारम्भ करने का निर्देश दिये जाने पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

A. U. Sarb
(ए० के० सर्वेसा)
वमपरिप्र/सा०/वारा०

M. K. Singh
30/04/21
(ए० के० केशरवानी)
वमयाई (ओ. एण्ड. एफ)/वारा०

M. K. Singh
30/04/2021
(एम.क.सिंह)
वमई/11/वारा०

Saurabh
30.4.2021
(पंकज कु० केशरवानी)
वमचिई/टी.आर.डी./वारा०

M. K. Singh
30/04/21
(त्र्यम्बक तिवारी)
वमसिई/वारा०

सं० - प / 369 / विविध/03/2021

स्टेधी / दिघवा दुबौली, राजापट्टी, मसरख
यातायात निरीक्षक / छपरा, लोको निरीक्षक / छपरा,
एस० एस० ई० / रेल पथ / थावे तथा एस० एस० ई० / सिगनल / थावे
मुख्य नियंत्रक, पावर कंट्रोल, इंजी० कंट्रोल, सिग० कंट्रोल, सुरक्षा कंट्रोल / वाराणसी
सभी शाखा अधिकारी, वाराणसी
मरेप्र / अमरेप्र(Infra) / अमरेप्र(Operation) / वाराणसी - सादर सूचनार्थ

अस्थायी कार्य अनुदेश

विषय:- राजापट्टी स्टेशन को कोविड-19 के कारण अस्थायी रूप से बन्द किये जाने के कारण गाडी संचालन हेतु अस्थायी कार्य अनुदेश।

कोविड-19 के वर्तमान प्रसार को देखते हुए स्टेशन कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण राजापट्टी स्टेशन को अस्थायी रूप से बन्द किया जाता है, इस स्थिति में राजापट्टी स्टेशन नान क्रॉसिंग के रूप में कार्य करेगा इस दौरान गाडियों का संचालन निम्न प्रकार होगा।

1. राजापट्टी स्टेशन के नान क्रॉसिंग होने के कारण दिघवा दुबौली-मसरख को एक ब्लाक सेक्शन माना जायेगा।
2. चूक ब्लाक यंत्र कार्यशील नहीं होगा अतः गाडियों का लाइन क्लीयर संचार के अन्य माध्यम यथा कंट्रोल फोन आदि के माध्यम से प्राप्त कर पी.एल.सी. (पेपर लाइन टिकट) के माध्यम से किया जायेगा।
3. पैनल एवं ब्लाक यंत्र सील करने से पूर्व खण्ड यातायात निरीक्षक छपरा, राजापट्टी स्टेशन के लाइन सं०-01 (लूप लाइन) को सेट कराकर दोनो छोर के प्वाइंट को क्लैम्प एवं पैडलाक कराकर, पैनल एवं ब्लाक यंत्र को लाक कर पैनल तथा ब्लाक यंत्र की चाभी अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करेंगे। लाइन सं०-01 में आगमन/प्रस्थान हेतु लाक सभी कांटों की देख रेख हेतु एक कांटा वाला स्टेशन मास्टर कार्यलय में उपस्थित रहेगा जो दिघवा दुबौली/मसरख से गाडी की सूचना प्राप्त होने पर कांटों पर लगाये गये क्लैम्प एवं पैडलाक को व्यवहारिक रूप से चेक करेगा, स्टेशन मास्टर दिघवा दुबौली/मसरख इस आशय की सूचना अपने यहाँ गाडी के लाइन क्लीयर होने के साथ ही राजापट्टी स्टेशन के सी.यू.जी. नं० पर कार्यरत कांटावाला को देंगे।
4. राजापट्टी स्टेशन के सभी आगमन एवं प्रस्थान सिगनल लाल रंग में प्रकाशित होंगे किन्तु इनका पालन लोको पायलट को नहीं करना होगा, जिसके विषय में स्टेशन मास्टर दिघवा दुबौली एवं मसरख द्वारा लिखित रूप से प्रत्येक गाडी के लोको पायलट एवं गार्ड को अवगत कराना होगा। इस सम्बन्ध में वमयाई(ओ०एण्ड एफ०) शेड आर्डर जारी कर लोको पायलट को अवगत करायेगे।
5. राजापट्टी स्टेशन से सम्बद्ध यातायात समपार 10 'सी' किमी 50/3-4 एवं 11 'सी' किमी 50/9-10 तथा इंजीनियरिंग समपार 04 'सी' किमी 44/3-4, 06 'सी' किमी 45/3-4, 07 'सी' किमी 48/1-2, 8 'सी' किमी 48/13-14, 9 'सी' किमी 49/5-6, 12ए 'सी' किमी 51/16-17, 13 'सी' किमी 52/5-6, 15 'सी' किमी 54/2-3, 16 'सी' किमी 54/7-8, 17 'सी' किमी 55/5-6 एवं 18 'सी' किमी 56/0-1 हेतु सतर्कता आदेश स्टेशन मास्टर दिघवा दुबौली एवं मसरख द्वारा जारी करना होगा कि लोको पायलट समपार की बन्द स्थिति को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही समपार को पार करें।
6. दिघवा दुबौली एवं मसरख स्टेशनों पर गाडियों का आगमन प्रापर होम सिगनल पर होगा।
7. राजापट्टी स्टेशन पर पावर ब्लाक नहीं होगा तथा टी.आर.डी. विभाग द्वारा ओ.एच.ई. सप्लाई की मानीटरिंग की जाएगी।
8. इस अस्थायी अनुदेश को दिघवा दुबौली एवं मसरख स्टेशन के प्रभावी SWR के साथ पढ़ा जाये एवं कार्यरत कर्मचारियों को अवगत कराते हुए यानि/छपरा आश्वासन लेना सुनिश्चित करेंगे।
9. यह अस्थायी कार्य अनुदेश नार्मल स्थिति होने पर मुगानि/कोचिंग द्वारा सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुए सामान्य कार्य संचालन प्रारम्भ करने का निर्देश दिये जाने पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

A-U-Sw
(ए० के० सक्सेना)
वमपरिप्र/सा०/वारा०

M
30/4/21
(ए० के० केशरवानी)
वमयाई (ओ.एण्ड.एफ)/वारा०

M
30/4/2021
(एम.के.सिंह)
वमई/11/वारा०

Jayraj
30-4-2021
(पंकज कु० केशरवानी)
वमविई/टी.आर.डी./वारा०

M
30/4/21
(त्र्यम्बक तिवारी)
वमसिई/वारा०

कार्यालय
मण्डल रेल प्रबन्धक (परि०)
वाराणसी
दिनांक: 30.04.2021

सं० - प / 369 / विविध/04/2021

स्टेधी / गोपालगंज, माझागढ़, रतनसराय
यातायात निरीक्षक / छपरा, लोको निरीक्षक / छपरा,
एस० एस० ई० / रेल पथ / थावें तथा एस० एस० ई० / सिगनल / थावें
मुख्य नियंत्रक, पावर कंट्रोल, इंजी० कंट्रोल, सिग० कंट्रोल, सुरक्षा कंट्रोल / वाराणसी
सभी शाखा अधिकारी, वाराणसी
मरेप्र / अमरेप्र(Infra) / अमरेप्र(Operation) / वाराणसी - सादर सूचनार्थ

अस्थायी कार्य अनुदेश

विषय:- माझागढ़ स्टेशन को कोविड-19 के कारण अस्थायी रूप से बन्द किये जाने के कारण गाडी संचालन हेतु अस्थायी कार्य अनुदेश।

कोविड-19 के वर्तमान प्रसार को देखते हुए स्टेशन कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण, माझागढ़ स्टेशन को अस्थायी रूप से बन्द किया जाता है, इस स्थिति में माझागढ़ स्टेशन नान क्रॉसिंग के रूप में कार्य करेगा इस दौरान गाडियों का संचालन निम्न प्रकार होगा।

1. माझागढ़ स्टेशन के नान क्रॉसिंग होने के कारण गोपालगंज-रतनसराय को एक ब्लाक सेक्शन माना जायेगा।
2. चूकि ब्लाक यंत्र कार्यशील नहीं होगा अतः गाडियों का लाइन क्लीयर संचार के अन्य माध्यम यथा कंट्रोल फोन आदि के माध्यम से प्राप्त कर पी.एल.सी. (पेपर लाइन टिकट) के माध्यम से किया जायेगा।
3. पैनल एवं ब्लाक यंत्र सील करने से पूर्व खण्ड यातायात निरीक्षक छपरा, माझागढ़ स्टेशन के लाइन सं०-01 (लूप लाइन) को सेट कराकर दोनो छोर के प्वाइंट को क्लैम्प एवं पैडलाक कराकर, पैनल एवं ब्लाक यंत्र को लाक कर पैनल तथा ब्लाक यंत्र की चाभी अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करेंगे। लाइन सं०-01 में आगमन/प्रस्थान हेतु लाक सभी कांटों की देख रेख हेतु एक कांटा वाला स्टेशन मास्टर कार्यलय में उपस्थित रहेगा जो गोपालगंज/रतनसराय से गाडी की सूचना प्राप्त होने पर कांटों पर लगाये गये क्लैम्प एवं पैडलाक को व्यवहारिक रूप से चेक करेगा, स्टेशन मास्टर गोपालगंज/रतनसराय इस आशय की सूचना अपने यहाँ गाडी के लाइन क्लीयर होने के साथ ही माझागढ़ स्टेशन के सी.यू.जी. नं० पर कार्यरत कांटावाला को देंगे।
4. माझागढ़ स्टेशन के सभी आगमन एवं प्रस्थान सिगनल लाल रंग में प्रकाशित होंगे किन्तु इनका पालन लोको पायलट को नहीं करना होगा, जिसके विषय में स्टेशन मास्टर गोपालगंज एवं रतनसराय द्वारा लिखित रूप से प्रत्येक गाडी के लोको पायलट एवं गार्ड को अवगत कराना होगा। इस सम्बन्ध में वमयाई(ओ०एण्ड एफ०) शेड आर्डर जारी कर लोको पायलट को अवगत करायेगे।
5. माझागढ़ स्टेशन से सम्बद्ध यातायात समपार 53 'सी' किमी 91/6-7 एवं 54 'सी' किमी 92/6-7 तथा इंजीनियरिंग समपार 53 'बी' किमी 90/7-8, 55 'सी' किमी 93/5-6, 57 'सी' किमी 94/6-7, 58 'सी' किमी 95/5-6 एवं 59 'सी' किमी 96/6-7 हेतु सतर्कता आदेश स्टेशन मास्टर गोपालगंज एवं रतनसराय द्वारा जारी करना होगा कि लोको पायलट समपार की बन्द स्थिति को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही समपार को पार करें।
6. गोपालगंज एवं रतनसराय स्टेशनों पर गाडियों का आगमन प्रापर होम सिगनल पर होगा।
7. माझागढ़ स्टेशन पर पावर ब्लाक नहीं होगा तथा टी.आर.डी. विभाग द्वारा ओ.एच.ई. सप्लाय की मानीटरिंग की जाएगी।
8. इस अस्थायी अनुदेश को गोपालगंज एवं रतनसराय स्टेशन के प्रभावी SWR के साथ पढ़ा जाये एवं कार्यरत कर्मचारियों को अवगत कराते हुए यानि/छपरा आश्वासन लेना सुनिश्चित करेंगे।
9. यह अस्थायी कार्य अनुदेश नार्मल स्थिति होने पर मुगानि/कोचिंग द्वारा सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुए सामान्य कार्य संचालन प्रारम्भ करने का निर्देश दिये जाने पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

A. U. S. S. S.
(ए० के० सक्सेना)
वमपरिप्र/सा०/वारा०

M
30/4/21
(ए० के० केशरवानी)
वमयाई (ओ. एण्ड. एफ)/वारा०

M
30/04/2021
(एम. के. सिंह)
वमई/11/वारा०

J. K. S. S.
30-4-2021
(पंकज कु० केशरवानी)
वमविई/टी.आर.डी./वारा०

A.
30/4/21
(त्र्यम्बक तिवारी)
वमसिदई/वारा०

सं० - प / 369 / विविध/05/2021

स्टेधी / तरयासुजान, जलालपुर, सासामुसा
यातायात निरीक्षक / पडरौना, लोको निरीक्षक / छपरा,
एस० एस० ई० / रेल पथ / तमकुही रोड तथा एस० एस० ई० / सिगनल / थावें
मुख्य नियंत्रक, पावर कंट्रोल, इंजी० कंट्रोल, सिग० कंट्रोल, सुरक्षा कंट्रोल / वाराणसी
सभी शाखा अधिकारी, वाराणसी
मरेप्र / अमरेप्र(Infra) / अमरेप्र(Operation) / वाराणसी - सादर सूचनार्थ

अस्थाई कार्य अनुदेश

विषय:- जलालपुर स्टेशन को कोविड-19 के कारण अस्थाई रूप से बन्द किये जाने के कारण गाडी संचालन हेतु अस्थाई कार्य अनुदेश।

कोविड-19 के वर्तमान प्रसार को देखते हुए स्टेशन कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण जलालपुर स्टेशन को अस्थाई रूप से बन्द किया जाता है, इस स्थिति में जलालपुर स्टेशन नान क्रसिंग के रूप में कार्य करेगा इस दौरान गाडियों का संचालन निम्न प्रकार होगा।

1. जलालपुर स्टेशन के नान क्रसिंग होने के कारण तरयासुजान-सासामुसा को एक ब्लाक सेक्शन माना जायेगा।
2. चूकि ब्लाक यंत्र कार्यशील नहीं होगा अतः गाडियों का लाइन क्लीयर संचार के अन्य माध्यम यथा कंट्रोल फोन आदि के माध्यम से प्राप्त कर पी.एल.सी. (पेपर लाइन टिकट) के माध्यम से किया जायेगा।
3. पैनल एवं ब्लाक यंत्र सील करने से पूर्व खण्ड यातायात निरीक्षक पडरौना, जलालपुर स्टेशन के लाइन सं०-01 (लूप लाइन) को सेट कराकर दोनो छोर के प्वाइंट को क्लैम्प एवं पैडलाक कराकर, पैनल एवं ब्लाक यंत्र को लाक कर पैनल तथा ब्लाक यंत्र की चाभी अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करेगें। लाइन सं०-01 में आगमन/प्रस्थान हेतु लाक सभी कांटों की देख रेख हेतु एक कांटा वाला स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपस्थित रहेगा जो तरयासुजान/सासामुसा से गाडी की सूचना प्राप्त होने पर कांटों पर लगाये गये क्लैम्प एवं पैडलाक को व्यवहारिक रूप से चेक करेगा, स्टेशन मास्टर तरयासुजान/सासामुसा इस आशय की सूचना अपने यहाँ गाडी के लाइन क्लीयर होने के साथ ही जलालपुर स्टेशन के सी.यू.जी. नं० पर कार्यरत कांटावाला को देंगें।
4. जलालपुर स्टेशन के सभी आगमन एवं प्रस्थान सिगनल लाल रंग में प्रकाशित होंगें किन्तु इनका पालन लोको पायलट को नहीं करना होगा, जिसके विषय में स्टेशन मास्टर तरयासुजान एवं सासामुसा द्वारा लिखित रूप से प्रत्येक गाडी के लोको पायलट एवं गार्ड को अवगत कराना होगा। इस सम्बन्ध में वमयाई(ओ०एण्ड एफ०) शोड आर्डर जारी कर लोको पायलट को अवगत करायेगें।
5. जलालपुर स्टेशन से सम्बद्ध यातायात समपार 15 'सी' किमी 46/13-14 एवं 17 'सी' किमी 47/17-18 तथा इंजीनियरिंग समपार 10 'सी' किमी 43/11-12, 11 'सी' किमी 44/12-13, 12 'सी' किमी 45/5-6, 13 'सी' किमी 45/13-14, 14 'सी' किमी 46/2-3, 18 'सी' किमी 48/4-5, 18ए 'सी' किमी 48/15-16 एवं 18बी 'सी' किमी 50/8-9 हेतु सतर्कता आदेश स्टेशन मास्टर तरयासुजान एवं सासामुसा द्वारा जारी करना होगा कि लोको पायलट समपार की बन्द स्थिति को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही समपार को पार करें।
6. तरयासुजान एवं सासामुसा स्टेशनों पर गाडियों का आगमन प्रापर होम सिगनल पर होगा।
7. जलालपुर स्टेशन पर पावर ब्लाक नहीं होगा तथा टी.आर.डी. विभाग द्वारा ओ.एच.ई. सप्लाई की मानीटरिंग की जाएगी।
8. इस अस्थाई अनुदेश को तरयासुजान एवं सासामुसा स्टेशन के प्रभावी SWR के साथ पढ़ा जाये एवं कार्यरत कर्मचारियों को अवगत कराते हुए यानि/पडरौना आशवासन लेना सुनिश्चित करेगें।
9. यह अस्थाई कार्य अनुदेश नार्मल स्थिति होने पर मुगानि/कोचिंग द्वारा सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुए सामान्य कार्य संचालन प्रारम्भ करने का निर्देश दिये जाने पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

A.K. Sengupta
(ए० के० सक्सेना)
वमपरिप्र/सा०/वारा०

M. K. Singh
29/04/21
(ए० के० केशरवानी)
वमयाई (ओ.एण्ड.एफ)/वारा०

M. K. Singh
30/04/2021
(एम.के.सिंह)
वमई/11/वारा०

P. K. Singh
30.4.2021
(पंकज कु० केशरवानी)
वमविई/टी.आर.डी./वारा०

D. K. Singh
30/4/21
(अम्बक तिवारी)
वमसिद्ध/वारा०

सं० - प / 369 / विविध/06/2021

स्टेधी / पडरौना, कटकुईयाँ, दुदही
यातायात निरीक्षक / पडरौना, लोको निरीक्षक / छपरा,
एस० एस० ई० / रेल पथ / तमकुही रोड तथा एस० एस० ई० / सिगनल / तमकुही रोड
मुख्य नियंत्रक, पावर कंट्रोल, इंजी० कंट्रोल, सिग० कंट्रोल, सुरक्षा कंट्रोल / वाराणसी
सभी शाखा अधिकारी, वाराणसी
मरेप्र / अमरेप्र(Infra) / अमरेप्र(Operation) / वाराणसी - सादर सूचनार्थ

अस्थाई कार्य अनुदेश

विषय:- कटकुईयाँ स्टेशन को कोविड-19 के कारण अस्थाई रूप से बन्द किये जाने के कारण गाडी संचालन हेतु अस्थाई कार्य अनुदेश।

कोविड-19 के वर्तमान प्रसार को देखते हुए स्टेशन कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण कटकुईयाँ स्टेशन को अस्थाई रूप से बन्द किया जाता है, इस स्थिति में कटकुईयाँ स्टेशन नान क्रॉसिंग के रूप में कार्य करेगा इस दौरान गाडियों का संचलन निम्न प्रकार होगा।

1. कटकुईयाँ स्टेशन के नान क्रॉसिंग होने के कारण पडरौना-दुदही को एक ब्लाक सेक्शन माना जायेगा।
2. चूकि ब्लाक यंत्र कार्यशील नहीं होगा अतः गाडियों का लाइन क्लीयर संचार के अन्य माध्यम यथा कंट्रोल फोन आदि के माध्यम से प्राप्त कर पी.एल.सी. (पेपर लाइन टिकट) के माध्यम से किया जायेगा।
3. पैनल एवं ब्लाक यंत्र सील करने से पूर्व खण्ड यातायात निरीक्षक पडरौना, कटकुईयाँ स्टेशन के लाइन सं०-01 (लूप लाइन) को सेट कराकर दोनो छोर के प्वाइंट को क्लैम्प एवं पैडलाक कराकर, पैनल एवं ब्लाक यंत्र को लाक कर पैनल तथा ब्लाक यंत्र की चाभी अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करेगें। लाइन सं०-01 में आगमन/प्रस्थान हेतु लाक सभी कांटों की देख रेख हेतु एक कांटा वाला स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपस्थित रहेगा जो पडरौना/दुदही से गाडी की सूचना प्राप्त होने पर कांटों पर लगाये गये क्लैम्प एवं पैडलाक को व्यवहारिक रूप से चेक करेगा, स्टेशन मास्टर पडरौना/दुदही इस आशय की सूचना अपने यहाँ गाडी के लाइन क्लीयर होने के साथ ही कटकुईयाँ स्टेशन के सी.यू.जी. नं० पर कार्यरत कांटावाला को देगें।
4. कटकुईयाँ स्टेशन के सभी आगमन एवं प्रस्थान सिगनल लाल रंग में प्रकाशित होगें किन्तु इनका पालन लोको पायलट को नहीं करना होगा, जिसके विषय में स्टेशन मास्टर पडरौना एवं दुदही द्वारा लिखित रूप से प्रत्येक गाडी के लोको पायलट एवं गाई को अवगत कराना होगा। इस सम्बन्ध में वमयाई(ओ०एण्ड एफ०) शेड आर्डर जारी कर लोको पायलट को अवगत करायेगें।
5. कटकुईयाँ स्टेशन से सम्बद्ध यातायात समपार 56 'सी' किमी 87/1-2 एवं 58 'सी' किमी 88/6-7 तथा इंजीनियरिंग समपार 53 'सी' किमी 82/20-21, 55 'सी' किमी 85/5-6, 60 'सी' किमी 89/3-4, 61 'सी' किमी 90/4-5, 61 'ए' किमी 90/15-16 एवं 61 'बी' किमी 91/1-2 हेतु सतर्कता आदेश स्टेशन मास्टर पडरौना एवं दुदही द्वारा जारी करना होगा कि लोको पायलट समपार की बन्द स्थिति को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही समपार को पार करें।
6. पडरौना एवं दुदही स्टेशनों पर गाडियों का आगमन प्रापर होम सिगनल पर होगा।
7. कटकुईयाँ स्टेशन पर पावर ब्लाक नहीं होगा तथा टी.आर.डी. विभाग द्वारा ओ.एच.ई. सप्लाइ की मानीटरिंग की जाएगी।
8. इस अस्थाई अनुदेश को पडरौना एवं दुदही स्टेशन के प्रभावी SWR के साथ पढ़ा जाये एवं कार्यरत कर्मचारियों को अवगत कराते हुए यानि/पडरौना आश्वासन लेना सुनिश्चित करेगें।
9. यह अस्थाई कार्य अनुदेश नार्मल स्थिति होने पर मुगानि/कोचिंग द्वारा सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुए सामान्य कार्य संचालन प्रारम्भ करने का निर्देश दिये जाने पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

A-U-Sund
(ए० के० सक्सेना)
वमपरिप्र/सा०/वारा०

M
30/04/21
(ए० के० केशरवानी)
वमयाई (ओ.एण्ड.एफ)/वारा०

Mishra
30/04/2021
(एम.के.सिंह)
वमई/11/वारा०

Sunil
30-4-21
(पंकज कु० केशरवानी)
वमविई/टी.आर.डी./वारा०

D
30/4/21
(त्र्यम्बक तिवारी)
वमसिद्धि/वारा०

सं० - प / 369 / विविध/07/2021

स्टेडी / रामकोला, बड़हरागंज, पडरौना
यातायात निरीक्षक / पडरौना, लोको निरीक्षक / छपरा,
एस० एस० ई० / रेल पथ / तमकुही रोड तथा एस० एस० ई० / सिगनल / पडरौना
मुख्य नियंत्रक, पावर कंट्रोल, इंजी० कंट्रोल, सिग० कंट्रोल, सुरक्षा कंट्रोल / वाराणसी
सभी शाखा अधिकारी, वाराणसी
मरेप्र / अमरेप्र(Infra) / अमरेप्र(Operation) / वाराणसी - सादर सूचनार्थ

अस्थाई कार्य अनुदेश

विषय:- बड़हरागंज स्टेशन को कोविड-19 के कारण अस्थाई रूप से बन्द किये जाने के कारण गाडी संचालन हेतु अस्थाई कार्य अनुदेश।

कोविड-19 के वर्तमान प्रसार को देखते हुए स्टेशन कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण बड़हरागंज स्टेशन को अस्थाई रूप से बन्द किया जाता है, इस स्थिति में बड़हरागंज स्टेशन नान क्रॉसिंग के रूप में कार्य करेगा इस दौरान गाडियों का संचालन निम्न प्रकार होगा।

1. बड़हरागंज स्टेशन के नान क्रॉसिंग होने के कारण रामकोला-पडरौना को एक ब्लाक सेक्शन माना जायेगा।
2. चूकि ब्लाक यंत्र कार्यशील नहीं होगा अतः गाडियों का लाइन क्लियर संचार के अन्य माध्यम यथा कंट्रोल फोन आदि के माध्यम से प्राप्त कर पी.एल.सी. (पेपर लाइन टिकट) के माध्यम से किया जायेगा।
3. पैनल एवं ब्लाक यंत्र सील करने से पूर्व खण्ड यातायात निरीक्षक पडरौना, बड़हरागंज स्टेशन के लाइन सं०-01 (लूप लाइन) को सेट कराकर दोनो छोर के प्वाइंट को क्लैम्प एवं पैडलाक कराकर, पैनल एवं ब्लाक यंत्र को लाक कर पैनल तथा ब्लाक यंत्र की चाभी अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करेंगे। लाइन सं०-01 में आगमन/प्रस्थान हेतु लाक सभी कांटों की देख रेख हेतु एक कांटा वाला स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपस्थित रहेगा जो रामकोला/पडरौना से गाडी की सूचना प्राप्त होने पर कांटों पर लगाये गये क्लैम्प एवं पैडलाक को व्यवहारिक रूप से चेक करेगा, स्टेशन मास्टर रामकोला/पडरौना इस आशय की सूचना अपने यहाँ गाडी के लाइन क्लियर होने के साथ ही बड़हरागंज स्टेशन के सी.यू.जी. नं० पर कार्यरत कांटावाला को देगें।
4. बड़हरागंज स्टेशन के सभी आगमन एवं प्रस्थान सिगनल लाल रंग में प्रकाशित होंगे किन्तु इनका पालन लोको पायलट को नहीं करना होगा, जिसके विषय में स्टेशन मास्टर रामकोला एवं पडरौना द्वारा लिखित रूप से प्रत्येक गाडी के लोको पायलट एवं गार्ड को अवगत कराना होगा। इस सम्बन्ध में वमयाई(ओ०एण्ड एफ०) शेंड आर्डर जारी कर लोको पायलट को अवगत करायेगें।
5. बड़हरागंज स्टेशन से सम्बद्ध यातायात समपार 75 'सी' किमी 102/3-4 एवं 76 'सी' किमी 103/7-8 तथा इंजीनियरिंग समपार 73 'सी' किमी 99/4-5, 74 'सी' किमी 100/5-6, 78 'सी' किमी 104/2-3, 79 'सी' किमी 105/0-1, 80 'सी' किमी 105/6-7 एवं 82 'सी' किमी 106/3-4 हेतु सतर्कता आदेश स्टेशन मास्टर रामकोला एवं पडरौना द्वारा जारी करना होगा कि लोको पायलट समपार की बन्द स्थिति को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही समपार को पार करें।
6. रामकोला एवं पडरौना स्टेशनों पर गाडियों का आगमन प्रापर होम सिगनल पर होगा।
7. बड़हरागंज स्टेशन पर पावर ब्लाक नहीं होगा तथा टी.आर.डी. विभाग द्वारा ओ.एच.ई. सप्लाई की मानीटरिंग की जाएगी।
8. इस अस्थाई अनुदेश को रामकोला एवं पडरौना स्टेशन के प्रभावी SWR के साथ पढ़ा जाये एवं कार्यरत कर्मचारियों को अवगत कराते हुए यानि/पडरौना आश्वासन लेना सुनिश्चित करेंगे।
9. यह अस्थाई कार्य अनुदेश नार्मल स्थिति होने पर मुगानि/कोचिंग द्वारा सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुए सामान्य कार्य संचालन प्रारम्भ करने का निर्देश दिये जाने पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

A-U-Land
(ए० के०) सक्सेना
वमपरिप्र/सा०/वारा०

30/04/21
(ए० के०) केशरवानी
वमयाई (ओ.एण्ड.एफ)/वारा०

30/04/2021
(एम.के.सिंह)
वमई/1/वारा०

30/04/2021
(पंकज कु०) केशरवानी
वमविई/टी.आर.डी./वारा०

30/04/21
(त्र्यम्बक तिवारी)
वमसिदई/वारा०

सं० - प / 369 / विविध/08/2021

स्टेडी / इन्दारा, किडिहरापुर, बेलथरा रोड
यातायात निरीक्षक / मऊ, लोको निरीक्षक / गोरखपुर, वाराणसी
एस० एस० ई० / रेल पथ / मऊ तथा एस० एस० ई० / सिगनल / मऊ
मुख्य नियंत्रक, पावर कंट्रोल, इंजी० कंट्रोल, सिग० कंट्रोल, सुरक्षा कंट्रोल / वाराणसी
सभी शाखा अधिकारी, वाराणसी
मरेप्र / अमरेप्र (Infra) / अमरेप्र (Operation) / वाराणसी - सादर सूचनार्थ

अस्थाई कार्य अनुदेश

विषय:- किडिहरापुर स्टेशन को कोविड-19 के कारण अस्थाई रूप से बन्द किये जाने के कारण गाडी संचालन हेतु अस्थाई कार्य अनुदेश।

कोविड-19 के वर्तमान प्रसार को देखते हुए स्टेशन कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण किडिहरापुर स्टेशन को अस्थाई रूप से बन्द किया जाता है, इस स्थिति में किडिहरापुर स्टेशन नान क्रॉसिंग के रूप में कार्य करेगा इस दौरान गाडियों का संचालन निम्न प्रकार होगा।

1. किडिहरापुर स्टेशन के नान क्रॉसिंग होने के कारण इन्दारा-बेलथरा रोड को एक ब्लाक सेक्शन माना जायेगा।
2. चूक ब्लाक यंत्र कार्यशील नहीं होगा अतः गाडियों का लाइन क्लीयर संचार के अन्य माध्यम यथा कंट्रोल फोन आदि के माध्यम से प्राप्त कर पी.एल.सी. (पेपर लाइन टिकट) के माध्यम से किया जायेगा।
3. पैनल एवं ब्लाक यंत्र सील करने से पूर्व खण्ड यातायात निरीक्षक मऊ, किडिहरापुर स्टेशन के लाइन सं०-02 (मेन लाइन) को सेट कराकर दोनो छोर के प्वाइंट को क्लैम्प एवं पैडलाक कराकर, पैनल एवं ब्लाक यंत्र को लाक कर पैनल तथा ब्लाक यंत्र की चाभी अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करेंगे। लाइन सं०-02 में आगमन/प्रस्थान हेतु लाक सभी कांटों की देख रेख हेतु एक कांटा वाला स्टेशन मास्टर कार्यलय में उपस्थित रहेगा जो इन्दारा/बेलथरा रोड से गाडी की सूचना प्राप्त होने पर कांटों पर लगाये गये क्लैम्प एवं पैडलाक को व्यवहारिक रूप से चेक करेगा, स्टेशन मास्टर इन्दारा/बेलथरा रोड इस आशय की सूचना अपने यहाँ गाडी के लाइन क्लीयर होने के साथ ही किडिहरापुर स्टेशन के सी.यू.जी. नं० पर कार्यरत कांटावाला को देगे।
4. किडिहरापुर स्टेशन के सभी आगमन एवं प्रस्थान सिगनल लाल रंग में प्रकाशित होंगे किन्तु इनका पालन लोको पायलट को नहीं करना होगा, जिसके विषय में स्टेशन मास्टर इन्दारा/बेलथरा रोड द्वारा लिखित रूप से प्रत्येक गाडी के लोको पायलट एवं गार्ड को अवगत कराना होगा। इस सम्बन्ध में वमयाई(ओ०एण्ड एफ०) शेड आर्डर जारी कर लोको पायलट को अवगत करायेगे।
5. किडिहरापुर स्टेशन से सम्बद्ध यातायात समपार 26 'सी' किमी 45/3-4 एवं 27 'सी' किमी 47/26-28 तथा इंजीनियरिंग समपार 29 'सी' किमी 50/8-6, 30 'सी' किमी 51/26-28, 22 'सी' किमी 40/20-22, 23 'सी' किमी 42/10-12 एवं 25 'सी' किमी 44/20-24 हेतु सतर्कता आदेश स्टेशन मास्टर इन्दारा एवं बेलथरा रोड द्वारा जारी करना होगा कि लोको पायलट समपार की बन्द स्थिति को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही समपार को पार करें।
6. इन्दारा एवं बेलथरा रोड स्टेशनों पर गाडियों का आगमन प्रापर होम सिगनल पर होगा।
7. किडिहरापुर स्टेशन पर पावर ब्लाक नहीं होगा तथा टी.आर.डी. विभाग द्वारा ओ.एच.ई. सप्लाय की मानीटरिंग की जाएगी।
8. इस अस्थाई अनुदेश को इन्दारा एवं बेलथरा रोड स्टेशन के प्रभावी SWR के साथ पढ़ा जाये एवं कार्यरत कर्मचारियों को अवगत कराते हुए यानि/मऊ आश्वासन लेना सुनिश्चित करेंगे।
9. यह अस्थाई कार्य अनुदेश नार्मल स्थिति होने पर मुगानि/कोचिंग द्वारा सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुए सामान्य कार्य संचालन प्रारम्भ करने का निर्देश दिये जाने पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

A.U. Gaur
(ए० के० सक्सेना)
वमपरिग्र/सा०/वारा०

(ए० के० केशरवानी)
वमयाई (ओ.एण्ड.एफ)/वारा०

(मनोष कुमार)
वमई/11/वारा०

(पंकज कु० केशरवानी)
वमविई/टी.आर.डी./वारा०

(त्र्यम्बक तिवारी)
वमसिद्ध/वारा०

सं० - प / 369 / विविध/09/2021

स्टेडी / मऊ, खुरहट, मुहम्मदाबाद
यातायात निरीक्षक / आजमगढ़, लोको निरीक्षक / मऊ,
एस० एस० ई० / रेल पथ / आजमगढ़ तथा एस० एस० ई० / सिगनल / मऊ
मुख्य नियंत्रक, पावर कंट्रोल, इंजी० कंट्रोल, सिग० कंट्रोल, सुरक्षा कंट्रोल / वाराणसी
सभी शाखा अधिकारी, वाराणसी
मरेप्र / अमरेप्र (Infra) / अमरेप्र (Operation) / वाराणसी - सादर सूचनार्थ


अस्थाई कार्य अनुदेश

विषय:- खुरहट स्टेशन को कोविड-19 के कारण अस्थाई रूप से बन्द किये जाने के कारण गाडी संचालन हेतु अस्थाई कार्य अनुदेश।


कोविड-19 के वर्तमान प्रसार को देखते हुए स्टेशन कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण खुरहट स्टेशन को अस्थाई रूप से बन्द किया जाता है, इस स्थिति में खुरहट स्टेशन नान क्रॉसिंग के रूप में कार्य करेगा इस दौरान गाडियों का संचालन निम्न प्रकार होगा।


1. खुरहट स्टेशन के नान क्रॉसिंग होने के कारण मऊ-मुहम्मदाबाद को एक ब्लाक सेक्शन माना जायेगा।
2. चूक ब्लाक यंत्र कार्यशील नहीं होगा अतः गाडियों का लाइन क्लियर संचार के अन्य माध्यम यथा कंट्रोल फोन आदि के माध्यम से प्राप्त कर पी.एल.सी. (पेपर लाइन टिकट) के माध्यम से किया जायेगा।
3. पैनल एवं ब्लाक यंत्र सील करने से पूर्व खण्ड यातायात निरीक्षक आजमगढ़, खुरहट स्टेशन के लाइन सं०-02 (मेन लाइन) को सेट कराकर दोनो छोर के प्वाइंट को क्लैम्प एवं पैडलाक कराकर, पैनल एवं ब्लाक यंत्र को लाक कर पैनल तथा ब्लाक यंत्र की चाभी अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करेंगे। लाइन सं०-02 में आगमन/प्रस्थान हेतु लाक सभी कांटों की देख रेख हेतु एक कांटा वाला स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपस्थित रहेगा जो मऊ/मुहम्मदाबाद से गाडी की सूचना प्राप्त होने पर कांटों पर लगाये गये क्लैम्प एवं पैडलाक को व्यवहारिक रूप से चेक करेगा, स्टेशन मास्टर मऊ/मुहम्मदाबाद इस आशय की सूचना अपने यहाँ गाडी के लाइन क्लियर होने के साथ ही खुरहट स्टेशन के सी.यू.जी. नं० पर कार्यरत कांटावाला को देंगे।
4. खुरहट स्टेशन के सभी आगमन एवं प्रस्थान सिगनल लाल रंग में प्रकाशित होंगे किन्तु इनका पालन लोको पायलट को नहीं करना होगा, जिसके विषय में स्टेशन मास्टर मऊ/मुहम्मदाबाद द्वारा लिखित रूप से प्रत्येक गाडी के लोको पायलट एवं गाई को अवगत कराना होगा। इस सम्बन्ध में वमयाई (ओ०एण्ड एफ०) शेड आर्डर जारी कर लोको पायलट को अवगत करायेगे।
5. खुरहट स्टेशन से सम्बद्ध यातायात समपार 8 'सी' किमी 13/1-2 एवं इंजीनियरिंग समपार 4 'सी' किमी 5/09-6/00, 6 'सी' किमी 10/5-6 एवं 9 'सी' किमी 15/5-15/6 हेतु सतर्कता आदेश स्टेशन मास्टर मऊ एवं मुहम्मदाबाद द्वारा जारी करना होगा कि लोको पायलट समपार की बन्द स्थिति को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही समपार को पार करें।
6. मऊ एवं मुहम्मदाबाद स्टेशनों पर गाडियों का आगमन प्रापर होम सिगनल पर होगा।
7. इस अस्थाई अनुदेश को मऊ एवं मुहम्मदाबाद स्टेशन के प्रभावी SWR के साथ पढ़ा जाये एवं कार्यरत कर्मचारियों को अवगत कराते हुए यानि मऊ/आजमगढ़ आश्वासन लेना सुनिश्चित करेंगे।
8. यह अस्थाई कार्य अनुदेश नार्मल स्थिति होने पर मुगानि/कोचिंग द्वारा सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुए सामान्य कार्य संचालन प्रारम्भ करने का निर्देश दिये जाने पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

A-U-Law.
(ए० के० सक्सेना)
वमपरिप्र/सा०/वारा०


30/04/21
(ए० के० केशरवानी)
वमयाई (ओ.एण्ड.एफ)/वारा०


30/04/21
(अरुण कु० सिंह)
मई/सा०/वारा०


30/04/21
(पंकज कु० केशरवानी)
वमविई/टी.आर.डी./वारा०


30/04/21
(वामसिद्धि/वारा०)